<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 286/2022</u>

सत्य प्रकाश नैथानी .....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी ।

उपस्थित:-

श्री नीरज गर्ग, पुनरीक्षणकर्त्ता के अधिवक्ता

श्री पंकज जोशी, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक.

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक),</u>

इस संसोधन में चुनौती प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय देहरादून जिला देहरादून के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 107/2020 श्रीमती पूनम नैथानी एवं अन्य बनाम सत्य प्रकाश नैथानी (" मामला ") में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 12.05.2022, को दी गई है। इसके माध्यम से, निजी प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल अग्रिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन को स्वीकार किया गया है और पुनरीक्षणकर्त्ता को अग्रिम भरण-पोषण के रूप में प्रत्येक निजी प्रत्यर्थी को प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. अभिलेख से पता चलता है कि प्रत्यर्थी नं.2, श्रीमती पूनम नैथानी, जो पुनरीक्षणकर्त्ता की पत्नी हैं और श्रीमती अंशिका नैथानी, प्रत्यर्थी नं.3, जो पुनरीक्षणकर्त्ता की पुत्री है, ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 125 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्त्ता से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी नं.2 और पुनरीक्षणकर्त्ता का विवाह 25.09.1998 में हुआ था। प्रत्यर्थी नं.3 उनकी बेटी है। पुनरीक्षणकर्त्ता और प्रत्यर्थी संख्या. 2 के बीच संबंध खराब हो गए। यह प्रत्यर्थी नं. 2 का मामला रहा है कि वास्तव में पुनरीक्षणकर्त्ता ने वर्ष 2005 में कभी शिवानी रावत नाम की महिला से विवाह किया था और वह उसके साथ रह रहा है। उसने तलाक की मांग की। दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमें थे। प्रत्यर्थी नं. 2 पत्नी का मामला यह है कि, वह अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। उनकी बेटी उन पर निर्भर है, जबकि पुनरीक्षणकर्त्ता एक ड्राफ्ट्समैन है। वह बीटेक (आर्किटेक्चर) हैं। वह ३ लाख रुपये महीना कमाता है।

4. इस आवेदन के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही प्रस्तुत की गयी। इस मामले में, अग्रिम गुजारा भत्ता के लिए प्रत्यर्थी नं. 2 और द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। विभिन्न आधारों पर पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा इसका विरोध किया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्त्ता का मामला यह है कि चूंकि पुनरीक्षणकर्त्ता और प्रत्यर्थी नं. 2 दोनों संगत नहीं हैं और उनके लिए एक साथ चलना थोड़ा असंभव हो गया था, उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। तदनुसार, आपसी तलाक के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था,जिसे बाद में प्रत्यर्थी नं. 2, पत्नी द्वारा वापस ले लिया गया था। पुनरीक्षणकर्त्ता ने अपनी आपत्तियों में अपनी आय का खुलासा नहीं किया। अग्रिम भरण-पोषण आवेदन पर आपत्तियों के पारा 34 में वह लिखता है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है। वह अपनी आजीविका के लिए किसी तरह कमाता है, जबकि प्रत्यर्थी नं. 2 ट्यूशन से प्रति माह लगभग 10000-15000/- रुपये कमाती है।

6. पक्षकारों को सुनने के बाद आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक निजी प्रत्यर्थी को प्रति माह 15000/- रुपये अग्रिम गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान करें। इससे असंतुष्ट होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण किया गया।

7. पुनरीक्षणकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बड़ी बेटी, संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है। यहां तक कि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ("दत्तक ग्रहण अधिनियम") की धारा 20 के तहत भी, एक विवाहित बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं हो सकती है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह तर्क देने के लिए कि गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए, एक वयस्क बेटी को दलील देनी होगी और तथ्यों को साबित करना होगा, अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 736, के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया है कि पक्षकारों की बेटी प्रत्यर्थी नं. 3 ने यह दलील नहीं दी है कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। तथ्य सिद्ध नहीं हुए हैं। यह ऐसे मामलों में से एक नहीं है, जिसमें प्रत्यर्थी नं. 3 अंतरिम गुजारा भत्ता प्राप्त कर सके ।

8. पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित बिंदुओं को भी उठाया:-

(i) - प्रत्यर्थी नं. 2 आपसी सहमति से अलग रह रही है। इसलिए, वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

(ii) - आक्षेपित आदेश में, पुनरीक्षणकर्त्ता की आय का आकलन नहीं किया गया है, जो इस आदेश को कानून की दृष्टि से खराब बनाता है।

(iii) - आक्षेपित आदेश में निर्धारण के लिए बिंदु तैयार नहीं किए गए हैं।

(iv)- रजनेश बनाम नेहा और अन्य (2021) 2 SCC 324 के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर प्रत्यर्थी नं. 3, बेटी ने एक शपथ पत्र दायर नहीं किया है।

9. यह सच है कि संहिता की धारा 125 के तहत, एक वयस्क बच्चा भरण-पोषण का हकदार नहीं है, जब तक कि ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ न हो। यह भी सच है कि मामला संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन पर आधारित है, लेकिन अभिलाषा (उपरोक्त) के मामले में फैसले को देखते हुए इस तर्क में स्वीकृति के लिए कम योग्यता है।

10. अभिलाषा (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा कि यदि एक कुटुम्ब अदालत को संहिता की धारा 125 के साथ-साथ दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 20 के तहत एक मामले का फैसला करने का अधिकार है, तो एक बड़ी बेटी को भरण-पोषण भी दिया जा सकता है ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके। पैरा 9 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न को इस प्रकार प्रस्तुत किया:-

> **9.** वर्तमान मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपने पिता से केवल वयस्कता प्राप्त करने तक भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है या वह धारा 125 (1) सीआरपीसी तहत अविवाहित रहने तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है। जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है वह इस प्रकार है:-
>
> > "125. पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश-
> >
> > (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, रख-रखाव की उपेक्षा करता है या बनाये रखने से इंकार करता है।

(क) - उसकी पत्नी, खुद का पालन-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) - उसकी धर्मज या नाजायज अवयस्क संतान, चाहे विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) - उसकी धर्मज या नाजायज संतान (विवाहित पुत्री नहीं) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) उसका पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ""

11. पैरा 32 और 33 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में विचार किया:-

"32. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधिनियमन के बाद, एक कुटुंब न्यायालय के पास पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य क्षेत्राधिकार भी होगा। कुटुंब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार केवल उस शहर या कस्बे के संबंध में होगा जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, जहां धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारिवारिक न्यायालय की कोई कार्यवाही नहीं है, वहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होगा।ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय स्थापित नहीं है, अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत कार्यवाही सहित भरण-पोषण के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही केवल

जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय के समक्ष होगी। "

"33. ऐसा कोई मामला हो सकता है जहां कुटुंब न्यायालय के पास धारा 125 सीआरपीसी के साथ-साथ अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत मुकदमे का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में कुटुंब न्यायालय दोनों अधिनियमों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और एक उपयुक्त मामले में अविवाहित बेटी को भरण-पोषण भी दे सकता है, हालांकि वह अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत अपने अधिकार को लागू करने के लिए बालिग हो गई है जिससे कि कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सके जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जगदीश जुग्तावत (उपरोक्त) के मामले में मत व्यक्त किया गया है। हालांकि मजिस्ट्रेट धारा 125 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता है। "

12. यह सच है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि ऐसे गुजारा भत्ता के लिए हकदारी का अभिवचन किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो आवेदन दर्ज किया गया है, उसे स्वीकार किया जाना है। न्यायालय को गुजाराभत्ता प्राप्त करने के लिए दावेदार की पात्रता का आकलन करना होता है।

13. यह भी सच है कि आक्षेपित आदेश में, पुनरीक्षणकर्त्ता की मासिक आय पर चर्चा कम हुई है।

न्यायालय पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता से जानना चाहता था कि रजनेश (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के अनुसरण में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में प्रति माह कितनी आय का खुलासा

किया गया था? पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आय का खुलासा नहीं किया गया है, बल्कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा लिखा गया है कि वह विकलांग है और उसका बायां हाथ लंबे समय से काम नहीं कर रहा है।

14. न्यायालय इस स्तर पर गहन जांच करने से परहेज करता है। यह कहना पर्याप्त होगा कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने अपनी आय का खुलासा नहीं किया। अग्रिम गुजरा भत्ता आवेदन पर दर्ज अपनी आपत्तियों में पैरा 34, में उन्होंने लिखा है कि वह कुछ व्यक्तियों से काम लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रश्न यह है कि वह हर महीने कितना कमाता है? जैसा कि कहा गया है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी नं. 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनरीक्षणकर्त्ता प्रति माह लगभग 3 लाख रुपये कमाता हैं। वह बी-टेक (आर्किटेक्चर) हैं। यद्यपि, सिर्फ इसलिए कि आय का आकलन नहीं किया गया है, विवादित आदेश को गलत, अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

15. यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्त्ता और प्रत्यर्थी नं. 2 आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता अभिलेख में कुछ भी इंगित नहीं कर सके, जो इसे स्थापित कर सकता है। यह एक तथ्य है कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन तथ्य यह भी है कि इसे बाद में प्रत्यर्थी नं. 2 द्वारा वापस ले लिया गया था, आपसी सहमति से तलाक के लिए मुकदमा दायर करना एक बात है और आपसी सहमति से अलग रहना काफी अलग है। कुछ परिस्थितियों में एक ही छत के नीचे रहने वाले पक्ष आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ पक्षकार मुकदमेबाजी में न होकर आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। इसलिए, केवल इसलिए कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकार आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इस तर्क को स्वीकार करने का महत्व भी कम है।

16. यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, बेटी ने दलील नहीं दी है और यह साबित नहीं किया है कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। आक्षेपित आदेश अग्रिम गुजारा भत्ता के स्तर पर पारित किया गया है। प्रत्यर्थी नं.2 और 3 द्वारा संयुक्त रूप से संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया है। कथन किए गए है, हालांकि अभिवचन नहीं किए गए। जहां तक सबूत का संबंध है, यह एक ऐसा चरण है, जो अभी आना बाकी है। आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्यर्थी नं. 2, पत्नी स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। यह भी लिखा है कि प्रत्यर्थी नं. 3, पुत्री, प्रत्यर्थी नं. 2 पर निर्भर है। यह विवक्षित रूप से, लेकिन जोर से कहता है कि प्रत्यर्थी नं.3 खुद का भरण-पोषण में सक्षम नहीं है। मात्र इसलिए कि स्पष्ट रूप से ऐसा कोई प्रकथन नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी नं.3 ने यह दावा नहीं किया है कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।

17. यह भी तर्क दिया गया है कि निर्धारण के बिन्दु नहीं बनाए गए हैं। यह कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, जो आदेश को अवैध करार दे सकती है। अदालत ने हर पहलू पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है। प्रत्यर्थी नं. 2, पुनरीक्षणकर्त्ता की पत्नी का आरोप है कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने दूसरी महिला से विवाह किया था। पैरा 7 में दिए गए आदेश में एक दस्तावेज का हवाला दिया गया है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किया गया था, जिससे पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने शिवानी रावत नामक महिला से शादी की थी। पुनरीक्षणकर्त्ता ने संपत्ति और देनदारियों के संबंध में दायर अपने शपथ-पत्र में स्वीकार किया है कि वह एक शिवानी रावत के घर में रह रहा है। क्या यह पुनरीक्षणकर्त्ता की पत्नी, प्रत्यर्थी नं. 2 के इस तर्क का समर्थन करती है कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने शिवानी रावत से विवाह किया था? इन सभी मुद्दों को मामले के अंतिम निर्धारण के बाद तय किया जाएगा।

18. संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है। यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि या अनुपयुक्तता नहीं पाता है।

इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। तदनुसार, पुनरीक्षणको प्रवेश के चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

19. पुनरीक्षण को आरंभ मे ही खारिज किया जाता है।

(रविन्द्र मैठाणी, जे.)

16.11.2022

Ravi Bisht